**मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ) का कार्यालय,**
**ग्रामीण कार्य विभाग।**

पत्रांकः–II/मु0अ0–04–प0पु0–01–74/25 2259 दिनांकः– 20.08.25

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ),
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **किशनगंज।**

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **किशनगंज–1** के अधीन शीर्ष **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY)** अन्तर्गत **(Tender Id-140582)** के निविदा निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY)** अन्तर्गत निविदा समूह **MGSY/24-25/KISHANGANJ-1/03 (Tender Id-140582)** के वित्तीय बीड के सफल न्यूनतम दर निविदाकार, **MD MAKBUL ALAM (Bid ID-615664)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से **02.77(दो दशमलव सात सात) प्रतिशत** कम अर्थात **रु 11,32,28,887.00 (ग्यारह करोड़ बत्तीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ सतासी)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के वित्तीय बीड के निष्पादन पर दिनांक–18.08.2025 को विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्रदत है, जो अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–**मु0अ0(नि0) मु0से0यो0–386/2025 पार्ट–II 4457** अनु0/पटना, दिनांक–**19.08.2025** के द्वारा संसूचित है।

1. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
2. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि से संबंधित बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
3. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा। किसी प्रकार कि भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
4. एकरारनामा के समय कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक संयुक्त रूप से स्थल निरिक्षण करेंगें तथा प्राक्कलन के प्रावधान, एकरारनामा के मद एवं राशि इत्यादि से संतुष्ट हो लेंगे। तदनुरसार मासिक कार्य योजना जो एकरारनामा का अंश होगा के अनुसार कार्य की प्रगति निरंतर बनाए रखेंगे।
5. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित अवधि के अन्दर यंत्र–संयत्र स्थल पर स्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
9. इस कार्य का व्यय शीर्ष **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY)** से विकलनीय होगा। व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के राशि के अन्तर्गत ही रखा जाएगा।

10. कार्य की प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा यह कार्य नहीं कराया जा रहा है।
13. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजा जायेगा एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जायेगा।
14. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
15. अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं स्वीकृत प्राक्कलन की प्रत्येक बिन्दू की जाँच कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी। परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि अनुज्ञेय सीमा से अधिक होने पर एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
16. किसी भी परिस्थिति में निजी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा।
17. कार्यपालक अभियंता कार्यावंट आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब LOA (Letter of Acceptance) निर्गत करेंगे एवं CMBD की ITB की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा कर लेंगे। संवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में CMBD के ITB की कंडिका 34.02 के तहत संवेदक के अग्रधन की राशि जब्त करते हुए इस कार्य की पुनर्निविदा की अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा सम्पादित नहीं होने की स्थिति में विलम्ब के कारण को Proper Justification के साथ अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे, तथा अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही एकरारनामा की कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

20/8/25

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांकः– II/मु0अ0–04–प0पु0–01–77/25 2259 दिनांकः– 20.08.25

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **किशनगंज–1** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/25

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांकः– II/मु0अ0–04–प0पु0–01–77/25 2259 दिनांकः– 20.08.25

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना(MGSY)** ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/25

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांकः– II/मु0अ0–04–प0पु0–01–77/25 2259 दिनांकः– 20.08.25

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

20/8/25

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

20/08